न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–गितेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 33 / 2022 (उदयपुर डिक्री)

1. गोपीलाल पिता नन्दराम वैष्णव, निवासी किरोल, तहसील गोगुन्दा हाल निवासी बड़गांव, पंचायत ढोल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती रूकमणी पुत्री नन्दराम वैष्णव पत्नी भंवरदास वैष्णव, निवासी हाल एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती पुष्पा बाई पुत्री नन्दराम वैष्णव पत्नी रतनदास वैष्णव, निवासी बगडुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती गुलाबी बाई बेवा नन्दराम वैष्णव, निवासी बड़गांव, पंचायत ढोल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. नारायणदास पिता शंकरदास वैष्णव, निवासी किरोल हाल मकान नंबर 54, उत्तरी सुन्दरवास, शिव पार्वती भवन, उदयपुर (राज.)
4. सुरेश पिता शंकरदास वैष्णव, निवासी किरोल हाल मकान नंबर 54, उत्तरी सुन्दरवास, शिव पार्वती भवन, उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती मंजु पुत्री शंकरदास वैष्णव, निवासी किरोल हाल मकान नंबर 54, उत्तरी सुन्दरवास, शिव पार्वती भवन, उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती कंचन पुत्री शंकरदास वैष्णव, निवासी किरोल हाल मकान नंबर 54, उत्तरी सुन्दरवास, शिव पार्वती भवन, उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती बदामी बेवा शंकरदास वैष्णव, निवासी किरोल हाल मकान नंबर 54, उत्तरी सुन्दरवास, शिव पार्वती भवन, उदयपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारीगोगुन्दा दिनांक 19–01–2022प्रकरण संख्या 95 / 2019

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1–श्री गणेशलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण

———::———

निर्णयदिनांक11–07–2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:10:31 IST
Reason: SelfAttested

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 188, 92–ए राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया किमौजा तिरोल में आराजी नंबर 977 रकबा 4.8300 हैक्टर, जिसके वर्तमान नंबर 2840 रकबा 1.0750 हैक्टर है, भूमि को रतनदास, गंगादास वैष्णव निवासी तिरोल द्वारा 15,000/– रूपये में श्रीमती वदन कुंवर जोजे लहरसिंह राजपूत से दिनांक 18–09–1996 को क्रय किया गया। रतनदास ने अपने द्वारा क्रय की गयी चल–अचल सम्पत्ति को वादी नारायणदास वैष्णव को दिनांक 23–09–2010 को वसीयत कर अपनी सम्पत्ति का कब्जा वादी को सिपुर्द कर दिया। दिनांक 04–02–2015 को रतनदास की मृत्यु हो चुकी है, जिससे वसीयत के आधार पर भूमि वादी के खाते दर्ज होनी चाहिए थी, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त भूमि का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के खाते दर्ज कर दिया व शेष 1/2 हिस्सा वादी एंव प्रतिवादी संख्या 5 से 8 के दर्ज किया, जबकि उक्त समस्त भूमि वादी के खाते दर्ज होनी चाहिए थी। उक्त भूमि पर कब्जा आज भी वादी का ही चला आ रहा है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 4 जोरजबरदस्ती कब्जा करने पर आमादा हैं। अतः विवादित आराजी न ंबर 2840/977 रकबा 0.0750 हैक्टर भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर नामन्तरकरण संख्या 638 दिनांक 22–05–2017 को निरस्त किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ने खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर बताया कि विवादित भूमि रतनदास द्वारा कोई वसीयत वादी के पक्ष में नहीं की गयी है, क्योंकि रतनदास जी 8–10 वर्षो से प्रतिवादी गोपीदास के साथ निवास करते थे तथा उनकी सेवा चाकरी गोपीदास ने की। वादी फर्जी दस्तावेज के आधार पर रतनदास की सम्पत्ति हड़पना चाहता है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर दिनांक 19–01–2022 को वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगणद्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16–05–2022 कोप्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया,किन्तु बावजूद सूचना रेस्पोन्डेन्टगण अनुपस्थित रहे।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया तथा बताया किउक्त निर्णय अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 13–05–2022 को हुई। जानकारी होते ही अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी है। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:10:31 IST
Reason: SelfAttested

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के अधिवक्ता ने दिनांक 19–01–2022 को अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं जवाबदावा भी उसी दिन प्रस्तुत किया, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना साक्ष्य का अवसर दिये एवं बिना तनकियात कायम किये उसी दिन निर्णय व डिक्री पारित कर दी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय में सभी प्रतिवादीगण के सम्मन तामिल नहीं हुए न ही वादी की ओर से कोई साक्ष्य ही पेश हुई है। अधिनस्थ न्यायालय ने वसीयत के आधार पर वाद डिक्री किया है, जबकि वादी ने वसीयत को साबित नहीं कराया है। वसीयत देखने से ही झूठा एवं फर्जी प्रतीत होता है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वाद डिक्री कर दिया। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2019 (1) Page 184, RRT 2022 (1) Page 220, RRT 2022 (1) Page 493, RRT 2022 (1) Page 68 प्रस्तुत की।

हमनेविद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 19–01–2022 को प्रतिवादी संख्या 1 प्रस्तुत हुआ। तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त हुई और इसी दिनांक को बहस सुनी गयी। यहां यह उल्लेखनीय है जवाब इकबालिया नहीं था। जवाब में वाद के तथ्यों को अस्वीकार किया गया था इस आधार पर तनकियात कायम किया जाना आवश्यक था। तनकियात के बाद साक्ष्य व दस्तावेजों का प्रदर्श होना महत्वपूर्ण था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक प्रक्रिया का पालना नहीं किया गया। पत्रावली में गवाहान के बयान भी संलग्न हैं, परन्तु पत्रावली में बयान कब लिये गये, किसके सामने शपथ दिलायी गयी, स्पष्ट नहीं है। तीन व्यक्तियों के बयान एक साथ लेखबद्ध कर दिये गये। इसी प्रकार पत्रावली में दिनांक 13–01–2020 को वाद दर्ज हुआ। इसी दिन पत्रावली में उल्लेख किया गया कि 'सम्मन पुनः प्राप्त'। जारी सम्मन का अवलोकन करने पर पाया गया कि ये दिनांक 26–11–2019 को ही जारी कर दिये गये थे। पत्रावली में वाद के पीछे उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 13–01–2020 को [illegible] कर सम्मन जारी करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:10:31 IST
Reason: SelfAttested

आदेश किया गया है। यहां पत्रावली 13–01–2020 को इतने विलम्ब से क्यों दर्ज की गयी, यह समझ से परे है।

वकील अपीलान्ट द्वारा भी अपील मेमों व दौराने बहस उक्त अनियमितताओं की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। उक्त समस्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद विचारण प्रक्रिया में गम्भीर अनियमितता की है। अतः निर्णित वाद के निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाना उचित है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–01–2022 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित की जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम करें, तत्पश्चात पक्षकारों से साक्ष्य सबूत प्राप्त कर उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 11–09–2023 को उपस्थित रहें।निर्णय आज दिनांक 11–07–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:10:31 IST
Reason: SelfAttested